न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर

अपील संख्या : 31/2017 (अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम)

गिरधारी पुत्र श्री लज्जाराम जाति वैश्य निवासी महादेव गली कस्बा बयाना जिला भरतपुर।

.....अपीलांट

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बयाना जिला भरतपुर।

2 विनयकुमार पुत्र श्री लज्जाराम
3 गीतादेवी वेवा श्री लज्जाराम
4 सुनीता
5 ववीता
6 सपना

जाति वैश्य निवासी कस्बा बयाना महादेव गली तहसील बयाना जिला भरतपुर।

पुत्रीयान लज्जाराम

.....रैस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार बयाना दिनांक 22.11.2011 बाबत नामान्तरकरण संख्या 3265 वाकै कस्बा बयाना तहसील बयाना जिला भरतपुर।

उपस्थित :

1. श्री नीरपालसिंह वकील अपीलान्ट।

2. राजकीय अधिवक्ता।

दिनांक : 21.12.2017

निर्णय

यह अपील राज0भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अंतर्गत तहसीलदार बयाना की आज्ञा दिनांक 22.11.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहत अदालत तहसीलदार बयाना द्वारा अपीलाधीन विरासतन नामान्तरकरण लालाराम के फौत हो जाने पर मृत्युप्रमाण पत्र क्रमांक 180 दिनांक 1.12.2010 के आधार पर स्वीकृत किया गया है जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। प्रकरण के तथ्य यह कि तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 3265 दिनांक 22.11.2011 खसरा नम्बर 2537 रकबा 0.20 वाकै कस्बा बयाना की हद तक कानून के खिलाफ किया गया है जो निरस्त योग्य है। यह कि हाल खसरा नम्बर 2537/0.20 वाकै कस्बा बयाना का अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक होने से पूर्व राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्बत 2060 लगायत 2063 वाकै कस्बा बयाना के खाता संख्या 570 में खसरा नम्बर 2533/0.02, 2534/0.04, 2536/0.40, 2537/0.20 पर रामस्वरूप, किशनस्वरूप, चन्द्रभान, राधेश्याम, सीताराम, दयाराम, लज्जाराम पिसरान गोपीलाल वहिस्सा बराबर 7/9 हिस्सा अर्थात अपीलान्ट के पिता लज्जाराम का 1/9 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। इसी प्रकार जमाबन्दी सम्बत 2064 लगायत 2067 की खाता संख्या 501 पर खसरा नम्बर 2537/0.20 पर राधेश्याम, सीताराम, लज्जाराम पिसरान गोपीलाल वहिस्सा बराबर 1/3 हिस्सा अर्थात लज्जाराम के नाम 1/9 हिस्सा दर्ज है तथा जमाबन्दी सम्बत 2068 लगायत 2071 की खाता संख्या 508 के खसरा नम्बर 2537/0.20 पर राधेश्याम, लज्जाराम पिसरान गोपीलाल वहिस्सा बराबर 2/9 हिस्सा अर्थात लज्जाराम का 1/9 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। इस तौर पर अपीलाधीन दाखिल खारिज संख्या 3265 दर्ज होने तथा तस्दीक होने से पूर्व सभी जमाबन्दीयों में मृतक लज्जाराम खसरा नम्बर 2537/0.20 पर 1/9 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है तथा अपने जीवन पर्यन्त 1/9 हिस्सा पर पिता गोपीलाल से विरासतन प्राप्त कर काबिज होकर काश्त करता रहा है तथा अपीलान्ट एवं तरतीवी रैस्पोडेन्ट्स द्वारा भी मृतक लज्जाराम से 1/9 हिस्सा ही विरासतन प्राप्त किया है तथा वर्तमान में मौके पर काबिज है। परन्तु पटवारी हल्का व आईएलआर द्वारा मौके एवं रिकार्ड के विपरीत 1/9 हिस्से की बजाय अपीलाधीन नामान्तरकरण दर्ज करते समय सहवन से 1/12 हिस्सा गलत दर्ज कर दिया है। तहत अदालत ने भी कोई ध्यान नहीं दिया और अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया। जो न्यायसंगत नहीं है। अपीलान्ट अपीलाधीन नामान्तरकरण में अंकित 1/12 हिस्से को 1/9 दुरूस्त कराने का आधिकारी है एवं दाखिल खारिज संख्या 3265 दिनांक 22.11.2011 को खसरा नम्बर 2537 की हद तक निरस्त कराने का अधिकारी है। तहत अदालत द्वारा की गई इस त्रुटी की अपीलान्ट को कतई जानकारी नहीं थी। इसकी जानकारी दिनांक 25.5.2017 को हुई। तदोपरान्त त्वरित कार्यवाही करते हुये नकल प्राप्त कर अपील पेश करने की कार्यवाही की गई। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। जिसके लिये पृथक से दफा –5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया जा रहा है। अतः अपील प्रस्तुत करने में की गई देरी को माफ करते हुये अपील अपीलांट अन्दर म्याद शुमार की जावे। अन्त में प्रार्थना की है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आज्ञा दिनांक 22.11.2011 बाबत दाखिल खारिज संख्या 3265 बाबत खसरा नम्बर 2537/0.20 वाकै कस्बा बयाना की हद तक अपीलान्ट एवं तरतीती रैस्पोडेन्टस का हिस्सा 1/12 की बजाय 1/9 हिस्सा संशोधित करने के निर्देश के साथ इस हद तक निरस्त करते हुये तहसीलदार बयाना को प्रतिप्रेषित किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजकीय अधिवक्ता द्वारा तहत अदालत तहसीलदार बयाना के अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.11.2011 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। मृतक लज्जाराम के फौत होने पर अपीलाधीन विरासतन नामान्तरकरण मृत्युप्रमाण पत्र क्रमांक 180 दिनांक 1.12.2010 के आधार पर स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा अपील प्रस्तुतीकरण में हुई बिना कोई ठोस आधार के असाधारण देरी के कारण भी अपील मियाद बाहर ही है। अन्त में राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज फरमाते हुये तहत अदालत द्वारा स्वीकृत अपीलाधीन नामान्तरकरण बहाल रखे जाने का निवेदन किया गया।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील रैस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया गया। अपील में प्रथमतः प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम धारा–5 पर विचार किया गया। आर.आर. डी. पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है किः–

> "Limitation Act,1963 Section 5&While considering the question of condonation of delay in filing of revision , appeal or reference by state Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merists of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large
>
> would be sufferer that makes a distinction and category of litigant state as compared to ordinary litigants"

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तथा आर0बी0जे0 (4) 1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि–

" Liberal view should be Taken in Cononing The Dely in Filling The appeal"

इस प्रकार प्रकरण के गुणावगुण पर विचार कर निर्णय किया जाना उचित पाते है। अतः अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी के संदर्भ में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपीलाधीन नामान्तरकरण के कॉलम नम्बर 14–16 में हो रहे इन्द्राज से स्पष्ट है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण फौती लज्जाराम जो अपीलान्ट के पिता है की मृत्योपरान्त जारी मृत्युप्रमाणपत्र दिनांक 1.12.2010 के आधार पर खोला गया है। इस प्रकरण में अपीलान्ट यह कहते हुये अपील में आये है कि उक्त नामान्तरकरण में अपीलान्ट एवं तरतीवी रैस्पोडेन्ट का हिस्सा 1/9 की जगह 1/12 हिस्सा दर्ज कर दिया है जो तहत अदालत की भारी भूल है। तथ्य की जांच के लिये जमाबन्दी सम्बत 2060 लगायत 2063 के खाता संख्या 570, जमाबन्दी सम्बत 2064 लगायत 2067 की खाता संख्या 501 तथा जमाबन्दी सम्बत 2068 लगायत 2071 की खाता संख्या 508 का अवलोकन किया गया उक्त जमाबन्दीयों में मृतक लज्जाराम खसरा नम्बर

2537/0.20 पर 1/9 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है ऐसी स्थिति में अपीलाधीन नामान्तरकरण में अपीलान्ट/तरतीबी रैस्पोडेन्ट का हिस्सा 1/12 किस प्रकार दर्ज किया गया तथ्य उपलब्ध नहीं है। लिहाजा प्रकरण दाखिल खारिज संख्या 3265 बाबत खसरा नम्बर 2537/0.20 वाकै कस्बा बयाना की हद तक अपीलान्ट एवं तरतीती रैस्पोडेन्टस का हिस्सा 1/12 की बजाय 1/9 हिस्सा संशोधित किये जाने के संदर्भ में पुनः जांच हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित रहता है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 3265 बाबत खसरा नम्बर 2537/0.20 वाकै कस्बा बयाना की हद तक निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार बयाना के लिये पुनः जांच हेतु रिमाण्ड किया जाता है। तहसीलदार बयाना को हिदायत दी जाती है कि वे अपीलाधीन नामान्तरकरण में अंकित अपीलान्ट व तरतीवी रैस्पोडेन्टस के सही हिस्से के संदर्भ में रिकार्ड व मौके के अनुसार पुनः जांच करें एवं दौराने जांच पक्षकारान को सुनवाई का समसुचित अवसर भी प्रदान करें। तदोपरान्त सभी विधिक प्रक्रियाऐं अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर अपीलाधीन नामान्तरकरण के संदर्भ आज्ञा पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 21.12.2017 को सुनाया गया।

(ओ0 पी0 जैन)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official